

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ।

पत्र सं०-4696 एच०ए०/14-107 एच०क्यू०ए०/2012

दिनांक 07-11-2014

1. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
2. प्रधान प्रबन्धक (केन्द्रीय कार्यशाला/एलेन फारेस्ट कार्यशाला)
3. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त सेवा प्रबन्धक
5. प्रबन्धक (कार सेक्शन)
6. अधिशासी अभियन्ता (पूर्व/पश्चिम)
7. प्रबन्धक (आहरण वितरण) मुख्यालय
8. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)
9. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)

विषय :- कर्मचारी कल्याण कोष के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल की 155 वी बैठक दिनांक 08.07.2003 के मद्द सं०-20 में लिये गये निर्णय अनुसार परिपत्र सं०-3085 एच०ए०/2003-21 एच०क्यू०ए०/1990 दिनांक 23.07.2003 के द्वारा वर्तमान में लागू योजना में निदेशक मण्डल की 202 वी बैठक दिनांक 17.10.2014 के मद्द सं०-18 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् निर्देश दिये जाते है। तदनुसार कर्मचारी कल्याण कोष योजना-1995 नियमावली संशोधित मानी जाये :-

1. वर्तमान सदस्यों से मासिक अंशदान रू० 10.00 और इतना ही मैचिंग अंशदान निगम द्वारा जमा कराये जाने का प्राविधान है, को संशोधित करते हुये माह नवम्बर-2014 के वेतन जो कि माह दिसम्बर-2014 में देय है से प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी के मासिक वेतन से अंशदान रू० 50.00 तथा तदनुसार रू० 50.00 मैचिंग अंशदान निगम द्वारा जमा कराये जायेंगे।
2. कर्मचारी कल्याण कोष योजना के सदस्यों के हित लाभ को रू० 20000.00 से बढ़ाकर रू० 100000.00 किया जाता है। यह लाभ दिनांक 1.11.2014 से अनुमन्य होगा।
3. अन्य शर्तें एवं नियम परिपत्र सं०-3085 एच०ए०/2003-21 एच०क्यू०ए०/1990 दिनांक 23.07.2003 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी। उपरोक्तानुसार कर्मचारी कल्याण कोष योजना-1995 नियमावली संशोधित मानी जायेगी।

प्रत्येक माह कर्मचारी कल्याण कोष के अन्तर्गत किये गये भुगतान का विवरण सचिव निगम, मुख्यालय को माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा, जिसकी एक प्रति मुख्यालय के बजट अनुभाग को भी प्रेषित की जानी होगी।

P.T.O



वित्त नियंत्रक प्रत्येक माह नियमित रूप से कर्मचारी कल्याण कोष के मासिक धनराशि क्षेत्रों को निगम मुख्यालय से प्रेषित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

प० सं० समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी (वाणिज्य/ऑडिट) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक(बजट/केन्द्रीय भुगतान/लेखा मुख्यालय) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. श्री गिरीश मिश्रा, महामंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०, चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ।
4. श्री तेज बहादुर शर्मा, महामंत्री, यू०पी० रोडवेज इम्पलाईज यूनियन कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, सेन्ट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ, उ०प्र० परिवहन निगम, कानपुर।
6. अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर सभा, उ०प्र० परिवहन निगम, फैजाबाद।
7. अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ, एफ-7, महापालिका क्वार्टर, पिचाश मोचन, वाराणसी।
8. श्रमिक समाज कल्याण संघ, परिवहन निगम, उ०प्र०।



(अनघ मिश्रा)

सचिव निगम

कर्मचारी कल्याण कोष